उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)

06/09/22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी के साक्ष्य में शपथपत्र क्रमांकित P.W-1, P.W-2, P.W-3 पेश। किये समाद के हस्ताक्षर करवाये गये। साक्ष्य को अभिलेख में प्रदर्श 1 से 78 को [illegible] प्रदर्शित किये गये। मिसल वास्ते बहस हेतु दिनांक 14/9/22 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)

14/9/22 पत्रावली पेश हुई। मिसल वास्ते बहस हेतु दिनांक 19/9/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

19/09/22 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान ने सहमति जाहिर की कि वाद पत्र के अनुसार खुरजाराम वादीगण नं० 1 व 5 का दादा व प्रतिवादी नं० 6 का ससुर था, खुरजाराम के नाम ग्राम खुडाना में भूमि खसरा नं० 283 हाल खसरा नं० 499 रकबा 0.87 [illegible] खातेदारी की व भूमि ग्राम खसरा नं० [illegible] हाल खसरा नं० 397 रकबा 0.61 हैक्टे०, अतः [illegible] हाल [illegible] 529।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2022.10.06 13:24:58 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रकबा 0.82 है0, ख0नं0 532 रकबा 0.58 है0, ख0नं0 532 रकबा 0.65 है0, ख0नं0 533 रकबा 0.34 है0 कुल रकबा 3.35 है0 मे अपने हिस्सा 1/2 को, एवं मय ख0नं0 281मी, 306/02, 196 मिनजुमले खाता नं0 438, 349, 443, 739/444, 441 कुल खसरा 5 कुल रकबा 2.76 है0 मे हिस्सा 1/2 को उक्त सूरजाराम ने अपने जीवन काल मे अपने चारों पुत्रों को 4 हिस्सा बराबर प्रत्येक का कब्जा के रूप मे दे दी थी। स्व0 रामप्रसाद जो वादीगण नं0 1 ता 5 का पिता व वादीगण नं0 6 का पति थे जो रामप्रसाद की मृत्यु के उपरान्त उनको उत्तराधिकारी के रूप मे प्राप्त हुई। सूरजाराम के चार पुत्र थे जो - मूलाचन्द, जगदीश, मंगेजाराम, रामप्रसाद थे चारों पुत्रों की उक्त भूमि मे हिस्सा 1/4-1/4 था जिस पर वे काबिज मालिक है लेकिन उक्त सूरजाराम का देहान्त होने पर विरासती नामान्तरकरण सं0 194 दिनांक 3-6-1976 को मृतक की [illegible] वो हल्का पटवारी ने बिना जांच किये वादीगण नं0 1 ता 5 के पिता व वादीनं0 6 के पति रामप्रसाद का नाम छोड़ दिया तथा त्रुटिवश राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया गया उक्तानुसार रिकॉर्ड अभी चलता रहा जब स्व0 रामप्रसाद की मृत्यु हो गई। जगदीश, मंगेजाराम, मूलचन्द का देहान्त हुआ तो उक्त नामान्तरकरण सं0 177 दिनांक 28/1/2001 भी विरासत के अनुसार गलत दर्ज होता रहा। जो वादीगण के [illegible] अधिकारों के विरुद्ध शून्य व बेअसर है। जिसे [illegible] निरस्त करवाना चाहते है और [illegible] अपना हिस्सा दर्ज करवाना चाहते है। अतः पत्रावली का अवलोकन किया गया वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 को [illegible] दस्तावेजात के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है की [illegible] के हाथ स्व0 [illegible]

उप खण्ड अधिकारी
(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2022.10.06 13:24:58 IST
Reason: SelfAttested

पेशी व क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
	494 रकबा 0.87 हैक्ट में वादीगण का हिस्सा 1/4 एवं हाल खसरा नं0 297, 528, 530 531, 532, 533 कुल खसरे 6 कुल रकबा 3.25 हैक्ट में से हिस्सा 1/8 व हाल खसरा नम्बर 438, 439, 443, 729/441, 441, कुल खसरा 5 कुल रकबा 2.76 हैक्ट में से वादीगण का हिस्सा 1/8 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार तहसीलदार चिड़ावा वादीगण के हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ती कर दर्ज करे डिक्री मुर्तिब हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो	
	उप खण्ड अधिकारी चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2022.10.06 13:24:58 IST
Reason: SelfAttested